संख्या-90/2017/1711/सैंतीस-2-2017-1(72)/03टीसी

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 अक्टूबर, 2017

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-148/प0-2/22/1/4/17-18, दिनांक-14.08.2017 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-54/2017/830/सैंतीस-2-2017-1(72)/03टीसी, दिनांक-27.06.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार कुल रू0-583.325 लाख (रूपये पाँच करोड़ तिरासी लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
18-प्रकाशन	4.370
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	4.370
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	13.125
39-औषधि तथा रसायन	80.770
42-अन्य व्यय	8.750
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	471.940
योग-	**583.325**

(रूपये पाँच करोड़ तिरासी लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत उपलब्ध जनपदवार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
6. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि योजनान्तर्गत क्रय ऐसी फर्मों से ही किया जाय जो जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत हों तथा विगत वर्ष तक जिनका आयकर रिटर्न व वैट टैक्स पूर्णरूपेण जमा हो।
8. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-90/2017/1711(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-90/2017/1711/सैंतीस-2-2017-1(72)/03टीसी, दिनांक-04 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	0.070	0.070	0.300	2.000	0.200	13.000	**15.640**
2	बागपत	0.058	0.000	0.000	1.077	0.000	0.000	**1.135**
3	गाजियाबाद	0.070	0.070	0.300	2.000	0.200	4.300	**6.940**
4	गौतमबुद्धनगर	0.058	0.058	0.175	2.000	0.117	2.030	**4.438**
5	बुलन्दशहर	0.070	0.070	0.300	1.077	0.200	14.000	**15.717**
6	सहारनपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	**0.000**
7	मुजफ्फरनगर	0.070	0.070	0.300	2.000	0.200	12.000	**14.640**
8	मुरादाबाद	0.058	0.058	0.175	1.077	0.117	4.900	**6.385**
9	अमरोहा	0.058	0.058	0.175	1.077	0.117	1.700	**3.185**
10	रामपुर	0.070	0.070	0.300	2.000	0.200	6.000	**8.640**
11	बिजनौर	0.070	0.070	0.300	2.000	0.200	8.000	**10.640**
12	बरेली	0.070	0.070	0.300	2.000	1.500	8.000	**11.940**
13	बदायूं	0.070	0.070	0.300	1.077	0.117	7.500	**9.134**
14	शाहजहांपुर	0.070	0.070	0.300	2.000	0.200	7.000	**9.640**
15	पीलीभीत	0.070	0.070	0.400	2.000	0.200	4.214	**6.954**
16	फैजाबाद	0.058	0.058	0.175	1.077	0.117	4.900	**6.385**
17	अम्बेडकर नगर	0.070	0.070	0.400	2.000	0.200	9.700	**12.440**
18	सुल्तानपुर	0.070	0.070	0.400	2.000	0.200	9.000	**11.740**
19	बाराबंकी	0.060	0.060	0.400	2.000	0.200	18.000	**20.720**
20	गोण्डा	0.070	0.070	0.400	2.000	0.200	7.000	**9.740**
21	बलरामपुर	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	2.000	**3.468**
22	बहराइच	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
23	श्रावस्ती	0.000	0.000	0.000	1.077	0.000	0.000	**1.077**
24	बस्ती	0.058	0.058	0.200	2.000	0.100	8.000	**10.416**
25	संतकबीर नगर	0.058	0.058	0.200	2.000	0.100	6.000	**8.416**
26	सिद्धार्थ नगर	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	2.800	**4.268**
27	गोरखपुर	0.058	0.058	0.200	2.00	0.100	20.000	**22.416**
28	महराजगंज	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
29	देवरिया	0.058	0.058	0.200	1.077	0.100	9.000	**10.493**
30	कुशीनगर	0.058	0.058	0.200	1.077	0.100	9.000	**10.493**
31	इलाहाबाद	0.058	0.058	0.200	1.077	0.100	20.000	**21.493**
32	कौशाम्बी	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	5.800	**7.357**
33	फतेहपुर	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	8.147	**9.704**
34	प्रतापगढ	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
35	झांसी	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	7.000	**8.557**
36	ललितपुर	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	3.600	**5.068**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	जालौन	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	0.400	**1.868**
38	बांदा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
39	चित्रकूट	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
40	हमीरपुर	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	7.000	**8.557**
41	महोबा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
42	लखनऊ	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	13.000	**14.557**
43	उन्नाव	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	4.700	**6.168**
44	रायबरेली	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	2.900	**4.368**
45	अमेठी	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	7.678	**9.235**
46	हरदोई	0.058	0.058	0.175	1.077	0.100	9.926	**11.394**
47	सीतापुर	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	12.000	**13.557**
48	खीरी	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	13.000	**14.557**
49	आजमगढ	0.090	0.090	0.200	1.077	0.100	14.000	**15.557**
50	मऊ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
51	बलिया	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
52	वाराणसी	0.090	0.090	0.200	1.077	0.117	3.184	**4.758**
53	जौनपुर	0.058	0.058	0.175	1.077	0.117	9.500	**10.985**
54	गाजीपुर	0.058	0.058	0.175	1.077	0.117	8.500	**9.985**
55	चन्दौली	0.090	0.090	0.250	1.077	0.117	8.000	**9.624**
56	मिर्जापुर	0.090	0.090	0.200	1.077	0.117	7.000	**8.574**
57	सोनभद्र	0.090	0.090	0.250	1.077	0.117	3.746	**5.370**
58	संतरविदास नगर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
59	कानपुर नगर	0.080	0.080	0.175	1.077	0.117	8.800	**10.329**
60	कानपुर देहात	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
61	फर्रूखाबाद	0.080	0.080	0.175	1.077	0.117	6.400	**7.929**
62	इटावा	0.080	0.080	0.175	1.077	0.117	5.712	**7.241**
63	कन्नौज	0.058	0.058	0.175	1.077	0.112	3.200	**4.680**
64	औरैया	0.090	0.090	0.000	0.000	0.000	0.250	**0.430**
65	आगरा	0.090	0.100	0.175	1.077	0.100	19.000	**20.542**
66	मथुरा	0.090	0.080	0.175	1.077	0.100	17.000	**18.522**
67	मैनपुरी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
68	फिरोजाबाद	0.080	0.080	0.170	1.077	0.100	2.700	**4.207**
69	कासगंज	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
70	एटा	0.072	0.080	0.155	1.200	0.100	5.000	**6.607**
71	अलीगढ	0.070	0.080	0.175	1.115	0.100	16.540	**18.080**
72	हाथरस	0.070	0.080	0.175	1.200	0.100	5.300	**6.925**
73	शामली	0.070	0.080	0.175	1.080	0.100	4.800	**6.305**
74	हापुड़	0.070	0.080	0.175	1.100	0.100	4.869	**6.394**
75	सम्भल	0.070	0.080	0.175	1.072	0.100	5.244	**6.741**
योग-		**4.370**	**4.370**	**13.125**	**80.770**	**8.750**	**471.940**	**583.325**

(रूपये पाँच करोड़ तिरासी लाख बत्तीस हजार पाँच सौ मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।